तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

28.3.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शैतानसिंह पुत्र नाथूसिंह जी राठौड, निवासी– सरतानपुरा हनुमान जी मन्दिर के सामने, वाडेली, पोस्ट, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओम बन्ना रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, पैट्रोप पंप, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 20.1.2022 को फर्म ओम बन्ना रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, पैट्रोल पंप, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी शैतान सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1607 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./285/Act/2022/336 दिनांक 16.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.3.2023 को प्रतिवादी शैतानसिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को दिनांक 27.3.2023 को ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से खरीद किया था जिसका बिल कहीं गुम हो गया है। उसने इस खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नही की है जिस स्थिति में घी (आभास ब्राण्ड) खरीद किया था उसी स्थिति में विक्रय किया गया है। अमानक खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के निर्माण हेतु निर्माता फर्म दोषी है। इसमें उसका कोई दोष नही है। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 20.1.2022 को समय 2.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म ओम बन्ना रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, पैट्रोल पंप, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही [illegible]। वहीं पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत [illegible] शैतानसिंह पुत्र नाथूसिंह जी राठौड, निवासी– सरतानपुरा हनुमान जी मंदिर के सामने,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो रेस्टोरेन्ट में खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) का उपयोग आम जन को खाना खिलाने में करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता शैतान सिंह को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने रेस्टोरेन्ट के गोदाम में रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के 5 लीटर के एक पैक्ड टीन को खोलकर घी को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये हुए घी (आभास ब्राण्ड) में 800 ग्राम घी (आभास ब्राण्ड) को चार साफ, खाली, सूखे भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 440/– (अक्षरे रुपये चार सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी शैतान सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1607, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह व विक्रेता को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर प्रत्येक शीशी में खरीदशुदा घी (आभास ब्राण्ड) को बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द कर प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1607 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व [illegible] नमूने को सील्ड

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 21.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री मनीषपाल सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 20.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म ओम बन्ना रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, पैट्रोल पंप, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी शैतान सिंह से खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1607 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./285/Act/2022/336 दिनांक 16.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी घी (आभास ब्राण्ड) ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी शैतान सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा [illegible] के अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (आभास ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी [illegible] पुत्र नाथूसिंह जी राठौड, निवासी– [illegible] के सामने, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही खाद्य कारोबारकर्ता एवं

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.31/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	मालिक, फर्म ओम बन्ना रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, पैट्रोल पम्प, वाडेली, पोस्ट कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी शैतान सिंह को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.5.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested